न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री सतीश चन्द पुत्र श्री हरीप्रसाद टोडवाल एफबीओ मैसर्सः— छगन लाल हरीप्रसाद, मैन मार्केट, महवा जिला दौसा।
2. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्रभूदयाल सैनी मैसर्सः—शिव एजेन्सीज, जडाव फाटक के पास, भालका का बास, दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री अभिनन्दन गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 उपस्थित।
: श्री डी. पी. सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 12.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06.07.2021 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्सः—छगन लाल हरीप्रसाद, मैन मार्केट महवा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री सतीश चन्द पुत्र श्री हरीप्रसाद टोडवाल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक रैक में 12 बोतल मूल पैकिंग में पैक 1 किग्रा वजनी **Continental Sauce(R-Pure)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पैक 1 किग्रा वजनी **Continental Sauce(R-Pure)** खरीदा। जिसकी कीमत 320 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा **Continental Sauce(R-Pure)** की चार बोतलो के लिये चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2653 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री नितेश सोनी आईईसी कोर्डिनेटर मुख्यालय द्वारा दिनांक 7.7.2021 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 7.7.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 7.7.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ **Continental Sauce(R-Pure)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 459 / एक्ट / 2021 / 636 दिनांक 19.07.2021 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। नमूना सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्तागण अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 459 / एक्ट / 2021 / 636 दिनांक 19.07.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Continental Sauce(R-Pure)** के नमूने में **Acetic Acid** की मात्रा 0.90 प्रतिशत ही पाई गई है। जो कि कम से कम 1.20 प्रतिशत होनी चाहिये थी। **Acetic Acid** की मात्रा जांच रिपोर्ट में कम पाये जाने के कारण खाद्य पदार्थ **Continental Sauce(R-Pure)** का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ **Continental Sauce(R-Pure)** का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि हमारी फर्म मैसर्सः—छगनलाल हरीप्रसाद मेन मार्केट महवा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **Continental Sauce (R-Pure)** की एक किलोग्राम की 12 बोतल पैकिंग इनवायस संख्या 21—22 / 0873 से दिनांक 4.7.2021 को मैसर्सः—शिव एजेन्सीज, जडाव फाटक के पास भालका का बास दौसा से क्रय किया गया था। हमारे द्वारा जिस स्थिति में खाद्य पदार्थ खरीदा उसी स्थिति में विक्रय कर दिया गया। इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट हमारे द्वारा नहीं की गई है। अतः हमे उक्त प्रकरण में दोषमुक्त किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा दिनांक 12.07.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अभियुक्त संख्या 2 पैकिंग मैटेरियल का थोक विक्रेता एवं लाईसेन्सधारी है। हमने दिनांक 22.6.2021 को आरप्योर एग्रो प्रोडेक्टस प्रा. लि. 35 क्राउ इण्डस्ट्रीयल टाउन विलेज सिन्दोला पीओ टेगोल जिला फरीदाबाद हरियाणा के इनवायस संख्या एफबीडीटीआई / 21—22 / 0415 के तहत उक्त **Continental Sauce(R-Pure)** की एक किलोग्राम की 12 बोतल पैकिंग खरीदा था। जिसको उसी स्थिति में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 08/2022 FSSA

दिनांक 4.7.2021 को इनवायस संख्या 21—22/0873 से अभियुक्त संख्या 1 मैसर्स छगनलाल हरिप्रसाद मैन मार्केट महवा को विक्रय कर दिया गया। हमारे द्वारा जिस स्थिति में खरीदा उसी स्थिति में विक्रय कर दिया गया। एफ.एस.एस.ए की धारा 80(2)(डी)(1) में निर्धारित किया गया है कि उस व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ का उसी स्थिति में विक्रय किया गया था जिस स्थिति में उसका क्रय किया था। उक्त खाद्य पदार्थ की सारी जिम्मेदारी खाद्य निर्माता कम्पनी की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्माता कम्पनी का बिल दे दिया था किन्तु उन्होने निर्माता कम्पनी को अभियुक्त नहीं बनाया और ना ही बिल को पत्रावली में संलग्न किया। अतः उक्त परिवाद में अप्रार्थी अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./459/एक्ट/2021/636 दिनांक 19.07.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Continental Sauce(R-Pure)** के नमूने में **Acetic Acid** की मात्रा जांच रिपोर्ट में कम पाये जाने के कारण यह सबस्टैण्डर्ड स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ **Continental Sauce(R-Pure)** का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ **Continental Sauce(R-Pure)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री सतीश चन्द पुत्र श्री हरीप्रसाद टोडवाल एफबीओ मैसर्सः— छगन लाल हरीप्रसाद, मैन मार्केट, महवा जिला दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्रभूदयाल सैनी मैसर्सः—शिव एजेन्सीज, जडाव फाटक के पास, भालका का बास, दौसा पर 5000/— (अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 12.07.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/FSSA/ दिनांकः— .07.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सतीश चन्द पुत्र श्री हरीप्रसाद टोडवाल एफबीओ मैसर्सः— छगन लाल हरीप्रसाद, मैन मार्केट, महवा जिला दौसा।
4. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री प्रभूदयाल सैनी मैसर्सः—शिव एजेन्सीज, जडाव फाटक के पास, भालका का बास, दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा